न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1086/2021

अनवान : –

1. भागाराम पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी राजपूरिया तहसील नोहर हाल आबाद गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र मल्लुराम जाति धानक निवासी राजपूरिया तहसील नोहर हाल आबाद गुडिया तहसील नोहर।
2. शिवभगवान पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी राजपूरिया तहसील नोहर हाल आबाद गुडिया तहसील नोहर।
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. कृष्ण कुमार पुत्र जगदीश जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **प्रतिवादी 1**

श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादी 5**

निर्णय दिनांकः 16/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी के पडदादा जीराम की जसाना तहसील नोहर में प.न. 341/399 मु.न. 13 के किला नं. 16 की 1 बीघा, 17 की 1 बीघा, 18 की 1 बीघा, 19 की 1 बीघा, 20 की 1 बीघा, 21 की 1 बीघा, 22 की 1 बीघा, 23 की 1 बीघा, 24 की 1 बीघा, 25 की 1 बीघा भूमि व प.न. 341/400 मुन. 14 के किला नं. 1 की 1 बीघा 2 की 1 बीघा 3 की 1 बीधा, 4 की 1 चीधा, 5 की 18 बिस्वा, 6 की 18 बिस्वा 7 की 1 बीघा, 8 की 1 बीघा, 9. की 1 बीधा, 10 की 1 बीघा 11 की 1 बीघा 12 की 1 बीघा 13 की 1 बीधा, 14 की 1 बीघा, 15 की बीधा, 17 की 1 बीचा, प.न. 340/400 मु.न. 15 के किला नं. 4 की 18 बिस्वा 5 की 16 बिस्वा प.न. 340/399 मुन 12 के किला नं. 16 की 1 बीधा, 17 की 1 बीघा 24 की 1 बीघा, 25 की बीघा, कुल 32 किता भूमि थी एवं रोही मौजा चक 2 आर.एम.एस. तहसील नोहर के प.न. 357/409 के किला न 11 की 1 बीघा, 12 की 1 बीघा, 13 की 1 बीघा 14 की 1 बीधा, 16 की 1 बीधा, 17 की 1 बीघा, 18 की। बीघा, 19 की 1 बीघा, कुल 9 बीघा भूमि है एवं रोह मौजा चक 3 आरएम.एस. तहसील नोहर के प.न. 357/410 मु.न. 4 के किला नं. 11 की 03 बिस्वा, 12 की 13 बिस्वा, 13 की 1 बीघा, 14 की 1 बीघा, 16 की 1 बीघा, 17 की 1 बीघा 18 की 1 बी[illegible] 20 की 17 बिस्वा, 21 की 17 बिस्वा, 22 की 1 बीघा, 23 की 1 बीघा, 24 की [illegible] बीघा 11 बिस्वा भूमि एवं चक 1 आर.एम.एस. तहसील नोहर [illegible] के किला नं. 15 की [illegible] बीघा, 16 की 1 बीघा, 17 की 12 बिस्वा, 25 की 1 बीघा, कुल 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:03:05 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जीराम की मृत्यू के पश्चात उक्त भूमि उनके तीन पुत्रो पर औद हुयी तथा वादी के दादा को उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा वादी के दादा की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उनके पांच पुत्रो पर औद हुयी तथा उनके द्वारा उक्त भूमि का विभाजन कर लिया गया तथा मुताबिक विभाजन के प्रतिवादी सं. 1 जो कि वादी का पिता है के हिस्सा में भूमि अब नये माप में परिवर्तित होकर आयी है वो रोही मौजा चक 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर के प.न. 341/400 मतु. न. 14 के किला नं. 2/2 की 0.1390 हैक्टर 8/2 की 0.0890 हैक्टर, 9 की 0.2530 हैक्टर, 13/1 की 0.1900 हैक्टर, कुल 0.6710 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 2 आर.एम. एस तहसील नोहर के प.न. 357/409 मु.न. 33 के किला नं. 19/2 की 0. 0628 हैक्टर, 20/1 की 0.1265 हैक्टर, कुल 0.1893 हैक्टर, भूमि स्थित है। एवं रोही मौजा चक 1 आर.एम.एस. तहसील नोहर के प.न. 356/409 के मु.न. 37 के किला नं. 16/6 की 0.0700 हैक्टर, 16/8 की 0.0080 हैक्टर, कुल 0.0780 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 3 आर.एम.एस. तहसील नोहर के प.न. 357/410 मु.न. 4 के किला नं. 13/2 की 0.0899 हैक्टर, 18/2 की 0.0900 हैक्टर, 23/2 की 0. 0900 हैक्टर, कुल 0.2699 हेक्टर भूमि अर्थात कुल 1.2082 भूमि हिस्सें आयी जिसके वे खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 2 का जन्म से हक व हिस्सा है चूंकि प्रतिवादी सं. 1 परिवार का मुखिया होने के कारण से समस्त भूमि अपने अकेले के नाम से दर्ज करवाली जिसे वादी प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाके वादी व प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब.हि.ब. दर्ज 5 करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवाद स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 196/25 की कुल 0.6710 हैक्ट भूमि, 2 आरएमएस के खाता स0 206/100 की 0.1893, 1 आरएमएस के खाता स0 150/68 की 0.0780 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी स0 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 3 आरएमएस के खाता स0 112/24 की कुल 0.2699 हैक्ट भूमि जरिये रजि0 दिनांक 23.1[illegible].2021 को खरीद की गई थी जिसका नामान्तरण दिनांक 7.06.2024 को दर्ज व मंजूर हो [illegible] है प्रतिवादी स0 5 रिकोर्डेड खातेदार है वादी ने उक्त वाद प्रतिवादी स0 5 की भूमि हड़प करने के लिए पेश किया है जो की खारिज योग्य है। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:03:05 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 196/25 की कुल 0.6710 हैक्ट भूमि, 2 आरएमएस के खाता स0 206/100 की 0.1893, 1 आरएमएस के खाता स0 150/68 की 0.0780 हैक्ट, 3 आरएमएस के खाता स0 112/24 की 0.2699 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 5 का कथन है कि रोही मौजा 3 आरएमएस की भूमि जरियै रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.11.2021 को खरीद की गई है। बैयनामा की चत्रिप्रति से स्पष्ट है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा रोही मौजा 3 आरएमएस की 0.2699 वाद भूमि को प्रतिवादी स0 5 को बैय किया गया है। अत रोही मौजा 3 आरएमएस की वाद भूमि के अलावा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज अन्य भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 2 को प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अत वाद वादी आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 196/25 की कुल 0.6710 हैक्ट भूमि, 2 आरएमएस के खाता स0 206/100 की 0.1893, 1 आरएमएस के खाता स0 150/68 की 0.0780 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, उक्त तीनो खातों में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:03:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1086/2021

अनवान : –

1. भागाराम पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी राजपूरिया तहसील नोहर हाल आबाद गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र मल्लुराम जाति धानक निवासी राजपूरिया तहसील नोहर हाल आबाद गुडिया तहसील नोहर।
2. शिवभगवान पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी राजपूरिया तहसील नोहर हाल आबाद गुडिया तहसील नोहर।
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. कृष्ण कुमार पुत्र जगदीश जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1086 सन 2021 निर्णय दिनांक 16/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 196/25 की कुल 0.6710 हैक्ट भूमि, 2 आरएमएस के खाता स0 206/100 की 0.1893, 1 आरएमएस के खाता स0 150/68 की 0.0780 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, उक्त तीनो खातों में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:03:05 IST
Reason: SelfAttested